



केन्द्रीय विद्यालय दमोह (म.प्र.) दूरभाष संख्या : 07812-223224

विज्ञापन तिथि: 09/09/2019

केन्द्रीय विद्यालय दमोह(म.प्र.) में स्नातक शिक्षक (गणित) हेतु अंशकालीन संविदा के आधार पर शैक्षणिक सत्र 2019-20 के लिए नियुक्ति हेतु पैनल बनाया जाना है। 18 से 65 वर्ष के मध्य आयु वाले, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम से पढ़ाने में दक्ष, योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थियों साक्षात्कार दिनांक को सीधे साक्षात्कार में सम्मिलित हो सकते हैं।

केन्द्रीय विद्यालय दमोह (म.प्र.)

साक्षात्कार दिनांक एवं समय 14.09.2019, शनिवार (प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक)			
क्र.	पद	मासिक मानदेय	विषय /अनिवार्य योग्यता
1.	टी.जी.टी.(गणित)	26,250/-	संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी (50% अंको सहित) में स्नातक डिग्री तथा NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त बीएड डिग्री तथा CTET (VI-VIII)उत्तीर्ण

केन्द्रीय विद्यालय दमोह (म.प्र.)

आवेदन की प्रक्रिया

आवेदन फार्म विद्यालय की वेबसाइट <https://damoh.kvs.ac.in> के डाउनलोड सेक्शन पर उपलब्ध है। इच्छुक अभ्यर्थी अपने आवेदन की एक प्रति भरकर पासपोर्ट आकार का छायाचित्र लगा कर एवं अपने मूल प्रमाणपत्रों तथा उनकी प्रमाणित छायाप्रतियों तथा पासपोर्ट आकार के एक फोटो के साथ आवेदित पद के सम्मुख दी गयी साक्षात्कार की तिथि पर समय से एक घंटा पहले उपस्थित होंगे।

नोट :- कृपया आवेदन न भेजे ,आवेदन पत्र भरकर साक्षात्कार दिवस पर स्वयं प्रस्तुत हो।

जो अभ्यर्थी एक से अधिक पद के लिए योग्य हैं तथा आवेदन करना चाहते हैं, वे प्रत्येक पद के लिए अलग आवेदन के साथ आवेदित पद के सम्मुख दी गयी साक्षात्कार की तिथि पर समय से एक घंटा पहले उपस्थित होंगे।

चयन प्रक्रिया

अभ्यर्थियों का चयन साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा तथापि उम्मीदवारों की संख्या अधिक होने की स्थिति में स्क्रीनिंग परीक्षा का आयोजन किया जा सकता है। स्क्रीनिंग परीक्षा में सम्बंधित विषय, शैक्षिक तकनीकी, शिक्षण अभिरुचि,भाषा तथा सामान्य ज्ञान से सम्बंधित प्रश्न होंगे।

विशेष

(1) साक्षात्कार हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व अन्य भत्ता देय नहीं है। साक्षात्कार में सम्मिलित होने के पूर्व अनिवार्य न्यूनतम योग्यता की जाँच कर लें। (2) चयन हेतु किसी भी प्रकार की सिफारिश अथवा राजनीतिक प्रभाव के प्रयोग का प्रयास अभ्यर्थी की अयोग्यता माना जायेगा। तथा उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। (3) मात्र पैनल में नाम शामिल होना नियुक्ति का आधार नहीं होगा। पद रिक्त होने की दशा में ही नियुक्ति प्रदान की जायेगी। (4) यह नियुक्ति एक वैकल्पिक व्यवस्था है जिसे आधार मानकर नियमित नियुक्ति का दावा मान्य नहीं होगा। (5) टी.जी.टी./ पी.आर.टी. पद हेतु अनिवार्य योग्यता CTET उम्मीदवार न मिलने की स्थिति में बी.एड. डिग्री धारी non-CTET उम्मीदवारों पर विचार किया जा सकता है। (6) केन्द्रीय विद्यालय संगठन के नियमानुसार समय-समय पर निर्धारित एवं पुनरीक्षित मानदेय देय होगा। (7) चयन समिति का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।